प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 28/12–13

अनिल शर्मा वनाम् मदन पासवान

आदेश

30.10.12 आवेदक अनिल शर्मा पिता कृष्ण नंदन शर्मा साकिन नरही थाना कुर्था जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद लाया है। विवादित भूमि जो ग्राम नरही कुर्था जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है :–

खाता	खेसरा	रकवा
31	718	1 कट्ठा 8 धूर

वाद की प्रविष्टि की गई और विपक्षी श्री मदन पासवान की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी उपस्थित हुए एवं वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित जमीन खाता 31 खेसरा 718 कुल रकवा 96 डी० आवेदक की रैयती जमीन है जिसका खतियान आवेदक के परदादा स्व० ब्रहमदेव सिंह के नाम से है।

(2) विपक्षी मदन पासवान का मकान विवादित जमीन के उतर पश्चिम कोण के पास पश्चिम तरफ प्लॉट न० 717 में है।

(3) विपक्षी विवादित जमीन को आवेदन देने के तीन माह पूर्व मिट्टी ,गनौर वगैरह भरकर एवं एक कोठली और एक बरामदा बनाकर अतिक्रमित कर लिया है।

(4) आवेदक अंचल से अपनी जमीन का नापी कराये हैं। अंचल अमीन ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्लॉट न० 718 के उतर पश्चिम कोण पर मदन पासवान 4375 वर्गकड़ी जमीन अपनी जमीन की ओर से अतिक्रमित कर लिया है जो एक कट्ठा आठ धूर के बराबर होता है। इसमें से 892.5 वर्गकड़ी पर मकान बना दिया है जो 5 धूर 14 धूरकी के बराबर होता है।

(5) विपक्षी का दावा कि विवादित जमीन से इन्हें आने जाने का रास्ता है,गलत है। विपक्षी के मकान के पश्चिम गली है। अपने जमीन प्लॉट न० 717 में बने मकान के उसी प्लॉट का अंश उनका सहन है। उसी सहन से होकर ने पश्चिम वाली गली में जाते है और उस गली को पकड़कर गॉव से बाहर आते जाते है।

(6) आज से 25 वर्ष से 30 वर्ष पूर्व के बीच नया सर्वे और चंकबदी का कार्य हुआ था। अगर प्लॉट न० 718 का कोई अंश उस समय विपक्षी के कब्जा में रहता तो उसका नया नक्शा और नया खतियान उनके नाम से बनता। परन्तु नया नक्शा और नया खतियान प्रथम पक्ष के परिवार के सदस्य के नाम में बना है,जो यह भी प्रमाणित करता है कि विपक्षी ने गलत ढंग से प्रथम पक्ष की एक कट्ठा आठ धूर जमीन को अतिक्रमित कर लिया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित जमीन पर आवेदक को दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध आवेदक के

45/ दिनांक 21/11/2012

विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(1) प्रश्नगत भूमि का केवल खाता प्लॉट दिया गया है लेकिन कोई चौहद्दी नही दिया गया है जिससे उक्त वाद प्रभावित हो गया,अतः वाद खारिज होने योग्य है।

(2) विपक्षी का लगभग 50 वर्षो से आवासीय मकान बना हुआ है तथा शेष परती भूमि पर विपक्षी के द्वारा रास्ता के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(3) प्रश्नगत भूमि से संबंधित पूर्व में ग्रामीण एव स्थानीय प्रतिनिधि के समक्ष पंचायती किया गया था जिसमें यह फैसला किया गया था कि जो जमीन परती है वह रास्ता के रूप में उपयोग किया जाएगा जिसे दोनो पक्ष किसी तरह से रास्ता को बाधित नही करेंगें। द्वितीय पक्ष पंचनामा के फैसला पर आज भी कायम है लेकिन प्रथम पक्ष पंचायत के फैसला को नही मानते है।

(4) अंचल कुर्था के राजस्व कर्मचारी ने भी जॉच प्रतिवेदन के अंतिम पारा में स्पष्ट लिखा है कि 30 वर्षो पूर्व में ही कृष्णनंदन सिंह प्रश्नगत भूमि पर चाहरदीवारी का निर्माण कर लिये थे और अपना भूमि को पूरी तरह अपना कब्जा में कर लिये है।

(5) पुलिस रिपोर्ट एवं राजस्व कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष किसी प्रकार से प्रश्नगत भूमि को अतिक्रमित नही किया है बल्कि 30 वर्ष पूर्व से अपना आवासीय मकान बनाकर सपरिवार शांतिपूर्वक निवास करते चले आ रहे है जिससे साबित होता है कि द्वितीय पक्ष का एडभर्स पजेशन भी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सूचना देकर उभय पक्षों के समक्ष विवादित स्थल का मेरे द्वारा जॉच दिनांक 13.09.2012 को किया गया। स्थल पर आवेदक का लगभग 4' का चाहरदीवारी बना पाया जो कि विवादित भूमि को छोड़कर है। उपस्थिति लोगों ने बताया कि यह चहारदीवारी काफी पूर्व आवेदक के पिता कृष्णनंदन सिंह के द्वारा बनाया गया है जिसे आवेदक द्वारा भी स्वीकार किया गया। निर्मित चहारदीवारी से प्रतीत होता है कि आवेदक के पूर्वज द्वारा ही विवादित जमीन पर अपना दावा छोड़ चहारदीवारी द्वारा अपने जमीन का दखल कब्जा कर लिया गया है,पुनः उसी जमीन पर आवेदक द्वारा दावा करना उचित नहीं है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.10

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

30.10

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।